राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नं0–4, शिक्षा संकुल, जयपुर–302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in Ph – 0141-2703897

क्रमांक : एफ24(29) / लेखा–ए / अनुदान / आकाशि / 2017 / .... दिनांक 16 दिसम्बर 2021

रजिस्टर्ड
अतिआवश्यक

सचिव,
मैनेजिंग कमेटी
एस.एस. जैन सुबोध पीजी कॉलेज
जयपुर

विषय :– DBCWP 2494 / 2018 शोभा रस्तोगी बनाम श्री सुबोध अग्रवाल व अन्य के क्रम में।
प्रसंग :– माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 तथा प्रकरण के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक 2519 / 25.05.18, 47 / 04.09.18, 124 / 15.11.18, 218 / 14.03.19 एवं 776 / 13.12.21

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में आपकी संस्था में पूर्व में कार्यरत रही कार्मिक शोभा रस्तोगी से सम्बन्धित प्रकरण DBCWP 2494 / 2018 शोभा रस्तोगी बनाम श्री सुबोध अग्रवाल व अन्य में पुनर्भरण की शर्त के अनुसार पहले उक्त याची को संस्था के द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाना था, उसके उपरान्त विभाग के द्वारा संस्था को पुनर्भरण किया जाना था। जिसके सम्बन्ध में विभाग के द्वारा आप से समय–समय पर प्रसंगानुसार उल्लेखित विभागीय पत्र / आदेशों के माध्यम से इस कार्मिक से सम्बन्धित रिकॉर्ड / सूचना चाही गयी थी जो किं विभाग में आदिनांक तक अप्राप्त है ।

अतः आपकों पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में कार्मिक के द्वारा चाहे गये एरियर की अवधि (अनुदान बंद होने से पूर्व के समय के तथा अनुदान बंद होने की दिनांक से संस्था में कार्यरत होने की दिनांक तक) में कार्मिक को देय वेतन एवं दिया गया वेतन के सम्बन्ध में अन्तर विवरण प्रपत्र मय इनको प्रमाणित किये जाने वाले दस्तावेज (यथा वेतन बिल, बैंक स्टेटमेंट विवरण आदि जिनसे इनको दिये गये वेतन और दिये जाने वाले वेतन का प्रमाणीकरण हो सके) आयुक्तालय में दिनांक 20.12.2021 प्रातः 11:00 बजे स्वयं / प्रतिनिधि उपस्थित होकर रिकॉर्ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके। विभाग के द्वारा चाहे गये रिकॉर्ड के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों के लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

–sd–
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ24(29) / लेखा–ए / अनुदान / आकाशि / 2017 / 771-775 दिनांक 16 दिसम्बर 2021
प्रतिलिपि :–

01. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
03. संयुक्त निदेशक (निजी संस्था शाखा) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संस्था को उक्त रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने के लिए अपने स्तर पर भी पाबंद करे।
04. सम्बन्धित कार्मिक को याचिका में अंकित पते पर .... भेज कर लेख है कि आप भी सम्बन्धित दस्तावेज सहित नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
05. वैबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर